

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-8361 / 654

दिनांक: 15-5-19

सेवा में

वन मण्डल अधिकारी,
फतेहाबाद ।

विषय: Diversion of 0.0007 ha. of forest land for access to M/s Gulab Industries along Bhuna-Ratia road (ODR) between km. stone 18-19, L/side, at Ratia, under forest division and District Fatehabad, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Road/29510/2017

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक 109 दिनांक 22-4-2019 ।

विषयोक्त प्रस्ताव की सी0ए0स्कीम में सी0ए0 के तहत 50 पौधे लगाने के लिए राशि शामिल की हुई है जबकि भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत जारी Handbook of guidelines-2019 के पार्ट-बी चैप्टर-2 की क्रम संख्या 2.6 के अनुसार सी0ए0 के तहत कम से कम 100 पौधे लगाने के लिए सी0ए0 स्कीम बनाई जानी अनिवार्य है । कृपया तदानुसार संशोधित सी0ए0 स्कीम व 100 पौधों के लिए भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र पुनः तैयार करके एक-एक प्रति में इस कार्यालय को तुरन्त भेजें ताकि प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जा सके ।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0 व केम्पा)
हरियाणा, पंचकुला ।

14-5-19
14/5/19